(ख) क्या यह भी सच है कि इनके अनुसार बैंकों को इन नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की मदद करनी चाहिए तथा इन्हें बड़े बैंकों और खुदरा ग्राहकों के बीच कड़ी का काम करना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें स्थानीय क्षेत्र बैंकों के रूप में कार्य करने के लिए "ए" ऋण पात्रता वाले गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों को अनुमति देने हेतु वाणिज्य और उद्योग पी० एच० डी० चैम्बर्स से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियां स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना के लिए प्रवर्तकों के रूप में आवेदन कर सकती है

(ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

New amnesty scheme to unearth gold

2536. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce a new amnesty scheme to unearth huge quantities of gold lying hidden in the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) by when the scheme is likely to come in vogue; and

(d) what is the expected amount of gold likely to be brought out?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) No, Sir.

(b) to (d) In view of (a) above does not arise.

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमायूं संभागों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

2537. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमायूं संभागों के पर्वतीय क्षेत्रों में सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में 15 से 25 गांवों के लिए बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन शाखाओं का जमा और ऋण का अनुपात क्या है; और

(ग) क्या सरकार व्यासघाट, जिला पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के 25-30 गांवों की मांग पर व्यासघाट में पंजाब नेशनल बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन): (क) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, देश के कम विकसित पर्वतीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोलने की आवश्यकता के मूल्यांकन का कार्य अलग-अलग बैंकों के निर्णय पर छोड़ दिया गया है और कोई राज्य-वार/क्षेत्र-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। उन केन्द्रों में जो आवेदक बैंक के सेवा क्षेत्र में आते हैं और जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा संस्तुत है, अतिरिक्त ग्रामीण शाखाएं खोलने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर गुण-दोषों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाता है।

(ख) मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां सकल बैंक ऋण